

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2016/माघ 1, 1937

No. 32]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2016/MAGHA 1, 1937

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 21 जनवरी, 2016

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2016

सं. सेबी/ एल. ए. डी. - एन.आर. ओ./ जी. एन./ 2015-16/ 032.— बोर्ड, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2016 कहा जा सकेगा।
2. वे 11 सितम्बर, 2012 से प्रवृत्त हुए समझे जाएँगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 में, विनियम 53ग में, उप-विनियम (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात् -

"(2) प्रत्येक निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) प्रत्येक वर्ष निक्षेपागार संबंधी कार्यों (डिपॉजिटरी ऑपरेशन्स) से होने वाले अपने लाभों का पाँच प्रतिशत या उतना प्रतिशत निवेशक (विनिधानकर्ता) संरक्षण निधि (इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड) में जमा करेगा, जितना कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए।"

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./333]

पाद टिप्पण :

1. मूल विनियम, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996, का.आ. सं. 345(अ), 16 मई 1996 को भारत के राजपत्र, भाग II में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 तत्पश्चात् :
 - (क) 7 फरवरी, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 91(अ), द्वारा
 - (ख) 5 सितम्बर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 640(अ), द्वारा
 - (ग) 5 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 18(अ), द्वारा
 - (घ) 21 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 76(अ), द्वारा
 - (ङ) 20 मई, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 357(अ), द्वारा
 - (च) 7 जुलाई, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 546(अ), द्वारा
 - (छ) 21 सितम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 775(अ), द्वारा
 - (ज) 26 दिसम्बर, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 1160(अ), द्वारा
 - (झ) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476(अ), द्वारा
 - (ञ) 27 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं. 1045(अ), द्वारा
 - (ट) 16 जून, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 696(अ), द्वारा
 - (ठ) 2 सितम्बर, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 1014(अ), द्वारा
 - (ड) 1 अक्तूबर, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 1156(अ), द्वारा
 - (ढ) 10 मार्च, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा

- (ण) 10 जून, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2004, का.आ. सं. 696(अ), द्वारा
- (त) 10 अक्टूबर, 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2007, सं.11/एलसी/जीएन/2007/4485, द्वारा
- (थ) 17 मार्च, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं.11/एलसी/जीएन/2008/20494, द्वारा
- (द) 26 मई, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा
- (ध) 8 अगस्त, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/18/134585, द्वारा
- (न) 19 जून, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [भारतीय निक्षेपागार रसीदों (डिपॉजिटरी रिसीट्स) के निर्गमन को सुकर बनाना] (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/10/166936, द्वारा
- (प) 13 अप्रैल, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/ 03/12650, द्वारा
- (फ) 5 जुलाई, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/14/21219, द्वारा
- (ब) 11 सितम्बर, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/15/20426, द्वारा
- (भ) 17 मई, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2013, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/09/5738, द्वारा
- (म) 24 दिसम्बर, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/18/1952, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st January, 2016

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (DEPOSITORIES AND PARTICIPANTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2016

No. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/032.— In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with Section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996, namely:—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2016.
2. They shall be deemed to have come into force from September 11, 2012.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996, in Regulation 53C, sub -regulation (2) shall be substituted with the following, namely-

“(2) Every depository shall credit five per cent or such percentage as may be specified by the Board, of its profits from depository operations every year to the Investor Protection Fund.”

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./333]

Footnote:

1. The principal Regulations, Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996 were published in the Gazette of India, Part II on May 16, 1996 *vide* S.O. No. 345(E).
2. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996, were subsequently amended on:—
 - (a) February 7, 1997 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1997 *vide* S.O. No. 91(E).
 - (b) September 5, 1997 by the SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1997 *vide* S.O. No. 640(E).
 - (c) January 5, 1998 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1998 *vide* S.O. No. 18(E).
 - (d) January 21, 1998 by the SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1998 *vide* S.O. No. 76(E).
 - (e) May 20, 1999 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1999 *vide* S.O. No. 357(E).
 - (f) July 7, 1999 by the SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1999 *vide* S.O. No. 546(E).
 - (g) September 21, 1999 by the SEBI (Depositories and Participants) (Third Amendment) Regulations, 1999 *vide* S.O. No. 775(E).
 - (h) December 26, 2000 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2000 *vide* S.O. No. 1160(E).
 - (i) May 29, 2001 by the SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 *vide* S.O. No. 476(E).
 - (j) September 27, 2002 by the SEBI (Procedure for holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 *vide* S.O. No. 1045(E).
 - (k) June 16, 2003 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2003 *vide* S.O. No. 696(E).
 - (l) September 2, 2003 by the SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2003 *vide* S.O. No. 1014(E).
 - (m) October 1, 2003 by the SEBI (Depositories and Participants) (Third Amendment) Regulations, 2003 *vide* S.O. No. 1156(E).
 - (n) March 10, 2004 by the SEBI (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 *vide* S.O. No. 398(E).
 - (o) June 10, 2004 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2004 *vide* S.O. No. 696(E).
 - (p) October 10, 2007 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2007 *vide* No. 11/LC/GN/2007/4485.
 - (q) March 17, 2008 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2008 *vide* F. No. 11/LC/GN/2008/20494.

- (r) May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 *vide* Notification No. LAD/NRO/GN/2008/11/126538.
- (s) August 8, 2008 by the SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2008 *vide* Notification No. LAD/NRO/GN/2008/18/134585.
- (t) June 19, 2009 by the SEBI (Facilitation of Issuance of India Depository Receipts) (Amendment) Regulations, 2009 *vide* Notification No. LAD/NRO/GN/2009-10/10/166936.
- (u) April 13, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011 *vide* Notification No. LAD/ NRO/ GN/ 2011-12/03/12650.
- (v) July 5, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2011 *vide* Notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/14/21219.
- (w) September 11, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2012 *vide* Notification No. LAD-NRO/GN /2012-13/15/20426.
- (x) May 17, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2013 *vide* Notification No. LAD-NRO/GN/2013-14/09/5738.
- (y) December 24, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2014 *vide* notification No. LAD/NRO/GN/2014-15/18/1952.